

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

तारीख रजु 19.08.2016

मुकदमा नंबर दावा / 131 / 2016

उनवान

श्रीफल पुत्र मलारी जाति जाटव बगैरह निवासी रेवई तहसील हिण्डौन जिला करौली।

-----वादी02

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डौन जिला करौली ।

-----प्रतिवादी 0

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- श्री मदन गोयल एडवोकेट ।

प्रतिवादीगण की ओर से :-कोई उपस्थित नहीं ।

निर्णय

दिनांक 13.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेद्याज्ञा ग्राम रेवई तहसील हिण्डौन के खसरा नंबर 264,448 / 503,613,614,615,616,617,के संबंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार आवाज दिलाने के उपरांत भी वादी पक्ष अनुपस्थित है ।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 131/2016 श्रीफल बनाम स्टेट अदम हाजरी एव अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 13.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन